

फा.सं. 13035-13/2016-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 01 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में।


मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 14 मई, 2018 को नई दिल्ली में होने वाली बैठक के संबंध में समिति के एक माननीय सदस्य श्री हरवीर सिंह शास्त्री जी से निम्नलिखित सुझाव (प्रति संलग्न) प्राप्त हुए हैं :-

“ कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग मंत्री-अधिकारियों और कर्मचारी सभी गर्व के साथ करें। पत्रोत्तर राजभाषा में अवश्य होना चाहिए। राजभाषा के व्यावहारिक शब्दों को बोलने में गर्व अनुभव करें, जैसे - नमस्ते, नमस्कार श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, कृपया धन्यवाद आदि। इनके स्थान पर यदि हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते रहे तो राजभाषा का गौरव कैसे बढ़ेगा?

परिवार में भी राजभाषा अथवा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे - माता, पिता, बहिन, चाचा, चाची आदि। इसके विपरीत अनेक परिवारों में विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग अहितकर है।

सामाजिक जीवन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमें परस्पर संवाद राजभाषा में करना चाहिए। पत्र व्यवहार हिंदी में करना चाहिए। सभा में भाषण भी राजभाषा में करना चाहिए।”

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो तथा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों के प्रमुखों की सूचनार्थ माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव भेजे जा रहे हैं।



(सुनीति शर्मा)
निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23380429

वितरण :-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थान।

24 APR 2018

महोदय !

20/4

2

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के से सम्बंधित प्रथम सुझाव -

कई नगर देखा जाता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने शपथग्रहण समारोह में राजभाषा हिन्दी अथवा अन्य राष्ट्रीय भाषा में शपथ ग्रहण नहीं करते। इस तरह वे स्वयं राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान नहीं करते। यह अनिवाच्य होना चाहिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ राजभाषा हिन्दी अथवा अन्य राष्ट्रीय भाषा में ग्रहण करें।

द्वितीय सुझाव -

कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग मन्त्री, जॉइन्ट सचिव और सचिवायरी सभी तर्ज के साथ करें। पत्रोत्तर राजभाषा में अवश्य होना चाहिए। राजभाषा के व्यावहारिक शब्दों को बोलने में गर्व-अनुभव करें, जैसे - जमस्ते, जमस्कार, श्रीमान्जी, महोदय, मान्यवर, कृपया अन्यवाद आदि। इनके स्थान पर यदि हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते रहे हों राजभाषा का गौरव कैसे बढ़ेगा ?

(ख) परिवार में भी राजभाषा अथवा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे - माता, पिता, बहिन, चाचा, चाची आदि। इसके विपरीत अनेक परिवारों में विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग अहितकर हैं।

(ग) सामाजिक जीवन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमें परस्पर संवाद राजभाषा में करना चाहिए। पत्र व्यवहार हिन्दी में करना चाहिए। सभा में भाषण भी राजभाषा में करना चाहिए।

भवदीय

दूरभाष - 90122 88305

हरवीर सिंह शास्त्री
गैरसरकारी सदस्य - हिन्दी सत्याग्रहकार समिति
ग्राम ब. डाक - इब्राहीमपुर भाजरा

जिला - बागपत, उ.प्र. - 250623

26.4.18
प्रामाणिकता
(क)